

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	रजि० न०	निर्णय दिनांक
11/06/2021	15.02.2021	2021/39	29-03-2022

1-कालू राम पुत्र भैरू जाति मीना निवासी ग्राम उकेरी तहसील रैणी जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

1-किस्तुरी पत्नी बच्चूराम जाति मीना निवासी उकडूंद तहसील महुआ जिला दौसा।
2-तहसीलदार रैणी

रेस्पोंडेन्टस

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार रैणी का निर्णय दिनांक 28.01.2021
नामान्तकरण संख्या 1122 वाके ग्राम भूडा तहसील रैणी

उपस्थित:-

01. श्री अनिल गुप्ता
02 श्री अमर चन्द चौधरी
03 राजकीय अभिभाषक

-वकील अपीलान्ट
-वकील रेस्पोंसं० 1
-वकील रेस्पोंसं० 2

--:: निर्णय ::--

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रैणी के निर्णय दिनांक 28.01.2021 नामान्तकरण संख्या 1122 वाके ग्राम भूडा तहसील रैणी जिला अलवर, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों० को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपील का प्रत्युत्तर पेश किया गया, जो कि शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपील का प्रत्युत्तर पेश कर निवेदन किया गया है कि अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से अपील खारिज होने योग्य है।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2021 नामान्तकरण संख्या 1122 वाके ग्राम भूडा तहसील रैणी में वर्णित आराजीयात हरिया की खातेदारी का विरासत का इन्तकाल अपने नाम खुलवाने के संबंध में पेश किया। उसी दिन दिनांक 16.05.2018 को अपीलान्ट कालूराम के द्वारा तहसीलदार रैणी कैम्प कोर्ट के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट का चाचा हण्डू जो काफी दिन पहले मर्डर केस में जेल चला गया था। जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, कि जीवित है, या मर चुका है। रेस्पोंडेन्ट किस्तुरी के द्वारा फर्जी दस्तावेजात नामान्तकरण खुलवाने के लिये आवेदन किया

(अपीलान्ट)
25/3/2022

गया है, तथा एक साल पहले भी इन्होंने नामान्तकरण खुलवाने की कोशिश की थी तब अपीलान्त के द्वारा स्थगन आदेश लिया जाकर नोट जमाबन्दी पर दर्ज करवा दिया गया था। जिस कारण इन्तकाल नहीं खोला गया। अब यह दुबारा आवेदन किया गया है, इसलिए रेस्पोजेन्ट किरस्तुरी के नाम इन्तकाल नहीं खोला जावे।

प्रार्थी अपीलान्त के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रैणी के द्वारा यह अंकित किया गया कि नामान्तकरण 1122 ग्राम भूडा विवादित होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा इन्तकाल स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए बाद सुनवाई हेतु निर्णय पेश हो।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी होकर पत्रावली अन्तर्गत धारा 135 (2) भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। तहत अदालत के समक्ष अपीलान्त द्वारा दिनांक 15.06.2018 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर नामान्तकरण संख्या 1122 वाके ग्राम भूडा तहसील रैणी के संबंध में आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि खातेदार हण्डु पुत्र हारया कौम मीना निवासी उकेरी तहसील रैणी का निवासी था। जिसका आज तक कोई अता पता नहीं है, जिसके जीवित होने या मृत्यु की जानकारी नहीं मिली और ना ही उसका कोई मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत या अन्य संस्था द्वारा जारी किया गया और न ही जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया। ऐसी स्थिति में खातेदार हण्डु पुत्र हारया का विरासत इन्तकाल खोला जाना अवैधानिक व कानून के सिद्धांतों के विपरित है, साथ ही किसी व्यक्ति के लापता हो जाने से एवं सात वर्ष से अधिक समय से किसी भी व्यक्ति के मृत्यु या जीवित होने की जानकारी नहीं है, तो लापता व्यक्ति के बाबत सक्षम दीवानी न्यायालय में मृत्यु की घोषणा करवाकर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाने के बाद ही उसकी विरासत का इन्तकाल उसके वारिसान के नाम खोला जा सकता है। तहत अदालत के समक्ष रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, फिर भी विधि विरुद्ध जाकर इन्तकाल तस्दीक किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। असल रेस्पोजेन्ट संख्या 1 खातेदार हण्डु की फर्जी तौर पर पुत्री बनकर उसकी आराजी को हडप करने की नियत से जो प्रार्थना पत्र इन्तकाल खुलवाने बाबत प्रस्तुत किया गया, जो खारिज किये जाने योग्य है। खातेदार हण्डु पुत्र हारया अपीलान्त के पिता भैरु का सगा भाई था। अपीलाधीन आराजी भैरु व खातेदार हण्डु को उनके पिता मृतक हारया से प्राप्त हुई थी, जो जाति से मीना है, व अनुसूचित जन जाति में आते हैं, जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। खातेदार हण्डु की आराजी पर अपीलान्त काबिज काश्तकार था एव खातेदार हण्डु के भाई भैरु की मिन अपीलान्त सगी औलाद है, इस आधार पर कानूनन अपीलान्त के नाम विरासत इन्तकाल स्वीकार किया जाना चाहिये था। जिन तथ्यों का भी अंकन प्रार्थी अपीलान्त द्वारा अपने ऐतराज में किया गया था किन्तु तहत अदालत द्वारा गौर नहीं किया गया।

अतः अपीलान्त द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपील स्वीकार की जाकर तहत अदालत तहसीलदार रैणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2021 नामान्तकरण संख्या 1122 वाके ग्राम भूडा तहसील रैणी निरस्त किया जाकर खातेदार हण्डु पुत्र हारया



निवासी ग्राम उकेरी तहसील रैणी का विरासत का इन्तकाल गिन अपीलान्ट के हक में खोलें जाने के आदेश फरमावे।

वकील रेस्पोजेन्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है, कि नामान्तकरण संख्या 1122 निर्णय दिनांक 28.01.2021 वाके ग्राम भूडा तहसील रैणी में वर्णित आराजीयात का खातेदार हण्डु पुत्र हारया के विरासत का नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का के द्वारा इन्तकाल संख्या 1122 दर्ज करते हुये ग्राम पंचायत भूडा पंचायत समिति रैणी के समक्ष दिनांक 05.04.2018 को पेश किया गया जो कोरम के अभाव में बैठक निरस्त किये जाने के बाद आगामी बैठक में पेश होने के आदेश दिये गये। दिनांक 16.05.2018 को तहसीलदार रैणी (कैम्प कोर्ट न्याय आपके द्वारा) के समक्ष आराजी के संबंध में एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया। उसी दिन 16.05.2018 को अपीलान्ट कालूराम के द्वारा तहसीलदार रैणी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश कर अपील में वर्णित आक्षेपो का उल्लेख करते हुये रेस्पोजेन्ट किस्तूरी के नाम इन्तकाल नहीं खोला जावे, का निवेदन किया गया। साथ ही अनुरोध किया गया है, कि तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.01.2021 नामान्तकरण संख्या 1122 वाके ग्राम भूडा विवादित है, जिसके खिलाफ अपील सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को न होकर माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर को है, इस लिए क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपील अपीलान्ट प्रथम स्टेंज पर खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं उभयपक्षकारान द्वारा प्रकरण में की गई बहस पर चिन्तन-मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अध्ययन व अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि हस्तगत प्रकरण में न्यायालय तहसीलदार रैणी द्वारा अन्तर्गत धारा 135(2) एल.आर. एक्ट 1956 के तहत निर्णय पारित किया गया है। जिसकी अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है। अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में वाद/अपील दायर करने हेतु स्वतन्त्र है। अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है साथ ही प्रकरण में दिनांक 15.02.2021 को जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार रैणी को तहत अदालत के रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(A1) खोरवाल
29/03/2022
(वंदना खोरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राजस्थान)